भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2738

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप का पंजीकरण

2738. कु. सुधा आर.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2015 से राज्यवार उन पंजीकृत स्टार्टअप्स की संख्या कितनी है जिनमें एक वर्ष के भीतर संचालन बंद हो चुके हैं;

(ख) उनके बंद होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) 2015 से सेक्टर-वार और राज्यवार इन स्टार्टअप्स के बंद होने से खत्म हुए रोजगारों की संख्या कितनी है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार द्वारा नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से दिनांक 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार कुल 1,97,692 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

31 अक्तूबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुसार 6,385 मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को बंद (अर्थात, विघटित/हटाए गए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है [11 नवंबर, 2025 को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार]। बंद (अर्थात, विघटित/हटाए गए) के रूप में वर्गीकृत कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

ऐसे स्टार्टअप जो बंद होते हैं, वे आम तौर पर व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता, बाजार की मांगों के साथ अनुरूपता, घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों, तैयार किए गए उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, वित्तपोषण आकर्षित करने की क्षमता और अन्य व्यवसाय-विशिष्ट कारणों जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। स्टार्टअप्स बंद होने के कारण रोजगार में कमी से संबंधित आंकड़े सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 16.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2738 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियां, जिन्हें 11 नवंबर, 2025 तक की स्थिति के अनुसार कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुसार बंद (अर्थात, विघटित/हटाए गए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार हैं:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की संख्या जिन्हें बंद (अर्थात, विघटित/हटाए गए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3
आंध्र प्रदेश	121
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	59
बिहार	96
चंडीगढ़	27
छत्तीसगढ़	64
दिल्ली	737
गोवा	29
गुजरात	348
हरियाणा	306
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू और कश्मीर	41
झारखंड	64
कर्नाटक	845
केरल	241
मध्य प्रदेश	180
महाराष्ट्र	1,200
मणिपुर	10
मेघालय	4
मिजोरम	3
नागालैंड	4
ओडिशा	117
पुदुच्चेरी	7
पंजाब	50
राजस्थान	211
सिक्किम	1
तमिलनाडु	338
तेलंगाना	368
त्रिपुरा	9
उत्तर प्रदेश	598
उत्तराखंड	58
पश्चिम बंगाल	231
कुल	**6,385**

*****